

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर राज्य योजना के अंतर्गत जनपद, बागेश्वर में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 6.9975 है० की दुगुनी अवनत भूमि 13.995 है० जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4646 रकवा 8.125 है० एवं खेत नं० 4647 रकवा 7.875 है० मध्ये 5.870 है० कुल रकवा 13.995 है० भूमि जो श्रेणी 9(3)ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(11)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-08 बी/यू०सी०पी०/०६/१८२/२०१६/एफ० सी०/१२३२ दिनांक 13.09.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या - 40/ छब्बीस -10 वन /2014-18 दिनांक 01/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 3- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

का रक्षि रक्षक

का रक्षि रक्षक